

दस्तावेज़

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चंडीगढ़ ।

सेवा में

✓ हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
 हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
 हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
 प्रशासक ।
 यादी क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/ ८९५५-८९९९
 दिनांक ११/१२/१८

विषय: Grant of reservation to persons with disabilities in jobs under Government/Government undertakings, Bodies and universities etc.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. वर्णित मामले में सरकार की द्वाया जारी हिदायतें क्रमांक 22/10/2013-1जी०एस०-गा, दिनांक 17.4.2017 के तहत 3प्रतिशत दिजवर्वेशन का लाभ Physical Disabled person को दिया जाना है । यदि आपके कार्यालय में कार्यरत कोई अनुभाग अधिकारी इन हिदायतों के अन्तर्गत कवर होता है तो उसके सेवा इकाई की सत्यापित प्रति/मैडीकल बोर्ड द्वाया जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति सहित प्रस्ताव इस विभाग को एक सप्ताह के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें । ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चंडीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/

दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति सभी अनुभाग अधिकारियों को सूचनार्थ/आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चंडीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 7159 टीए-हर(4टी)17/

दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय में लेखाधिकारियों से सम्बन्धित सीट 1टी को प्रेषित है ।

<scd -

संयुक्त निदेशक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चंडीगढ़ ।